



## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2019/624  
प्रति,

दिनांक : 19/03/19

प्राचार्य,  
श्री कृष्णा जी राव पंवार शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
देवास।

**विषय :-** विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत महाविद्यालय की सम्बद्धता एवं आवेदित पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

**संदर्भ :-** महाविद्यालय का ऑनलाईन आवेदन क्रमांक/VU1805100013, दिनांक 11.05.2018

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/संबद्धता/निरंतरता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा 20.06.2018 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.07.2018 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें "निर्णय लिया गया कि, महाविद्यालय में संचालित अन्य पाठ्यक्रमों का सत्र 2018-19 का वार्षिक सम्बद्धता निरंतरता शुल्क जमा होने के पश्चात् प्रकरण पर विचार किया जावेगा।"

उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय द्वारा पूर्व से संचालित अन्य पाठ्यक्रमों सत्र 2018-19 का वार्षिक सम्बद्धता-निरंतरता शुल्क जमा किया जा चुका है। अतः आदेशानुसार निम्न विवरणानुसार सत्र 2018-19 से शर्तों के अधीन, विश्वविद्यालय में वर्तमान में प्रभावशील धारा 52(4) में विनिहित नियमों के प्रावधानान्तर्गत माननीय कुलपतिजी की स्वीकृति के उपरांत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.बी.ए.-प्रथम वर्ष	100
02.	बी.सी.ए.-प्रथम वर्ष	100

**शर्तें :-** 01. कम्प्यूटर प्रयोगशाला में 20 नवीन कम्प्यूटर सिस्टम LAN तथा Wi-Fi द्वारा जुड़े हों।


02. बी.सी.ए. पाठ्यक्रम हेतु छात्र संख्या के अनुपात में पुस्तकें क्रय की जाये।

03. कम्प्यूटर विषय हेतु अतिथि विद्वानों की नियुक्ति की जाये।

\* उपरोक्त कमियों की पूर्ति दो माह में आवश्यक रूप से पूर्ण करें, अन्यथा सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जावेगा।

\* आगामी सत्र में उपरोक्त पाठ्यक्रमों की आगामी कक्षा की सम्बद्धता हेतु आवेदन मय शुल्क सहित एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से निश्चित समयावधि में करें।

आदेशानुसार

  
कुलसचिव

11211

क्रादमिक / सम्बद्धता / 2019 / 625

लिपि:-

दिनांक

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल।
2. क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन।
3. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
4. प्राचार्य, शा.के.पी.स्नातकोत्तर (अग्रणी) महाविद्यालय, देवास।
5. उपकुलसचिव / सहायक कुलसचिव, परीक्षा / गोपनीय / लेखा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
6. समन्वयक, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
7. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर की ओर प्रेषित कर सूचित है कि, उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. कुलपति / कुलसचिव के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
9. की ओर सूचनार्थ।

अनुभाग अधिकारी (अव)